।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 19/2024(मैन्यूअल) 2024/64(GCMS)

अपीलांट — रेस्पोडेंण्ट

श्री किशनसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रणाउ तहसील रामगढ जिला जैसलमेर — बनाम — राज.सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला जैसलमेर

उपस्थित

1. श्री पूँजराजसिंह (अधिवक्ता अपीलाण्ट)

दिनांक 03.09.2025

निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 48/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कृषि संवत 2081 के दौरान ग्राम रणाउ के खसरा संख्या 1847 किस्म बंजड़ भूमि पर अनाधिकृत **भवन व दुकान का निर्माण** कर भूमि रकबा 500 वर्गफीट (46.45 वर्गमीटर) भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलांट ग्राम रणाउ का मूल निवासी है तथा पीढियो से इसी जगह पर निवास करता है। अपीलाण्ट व उसके परिवार के नाम से अन्य कही भी भूमि व भूखण्ड नहीं है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि में बने आवासीय मकान में रहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत व निराधार है और गैर सायल को बिना सुने मनमाने तरीके से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी व तथ्य संबंधी भूल की है। अतः आलोच्य आदेश अपास्त कर अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

अपीलांट अधिवक्ता को सुना गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट के पास उसके परिवार के नाम से अन्य कही भी भूमि व भूखण्ड नहीं है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि में बने आवासीय मकान में रहते है। आलोच्य आदेश अपास्त कर अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। आलोच्य प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों अनुसार विवादग्रस्त भूमि ग्राम रणाउ के खसरा नम्बर 1847 किस्म बंजड़ में अतिक्रमण किया जाना स्वीकार्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा कोई ठोस आधार एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अतः **अपील अपीलांट खारिज** की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर